संख्या– 577/79–6–2015

प्रेषक,

एच0एल0 गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2015

विषयः–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्रों को सप्ताह में एक दिन 200 मि0ली0 दूध उपलब्ध कराये जाने एवं वर्तमान मेन्यू में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या:1541/79–6–06–1(6)/2000 टी0सी0 दिनांक 02 अगस्त, 2006 द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत लागू मेन्यू निर्धारित किया गया था। उक्त मेन्यू में समय–समय पर निम्नांकित संशोधन भी किये गये है:–

(1) शासनादेश संख्या:2913/79–6–2007 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 के माध्यम से मेन्यू से पूड़ी को हटाया गया जिसके स्थान पर रोटी–सब्जी अथवा दलिया का निर्धारण किया गया। (2)शासनादेश संख्या:761/79–6–2010 दिनांक 04 जून, 2010 के माध्यम से मेन्यू में विकल्प के रूप में निर्धारित मीठा चावल को हटाया गया।

2– इस संबंध में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक–म0भो0प्रा0/2414/2015–15 दिनांक 19.05.2015 के संदर्भ में विचारोपरान्त उक्त शासनादेशों द्वारा निर्धारित मीनू को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के समस्त छात्रों को सप्ताह में एक दिवस 200 मि0ली0 दूध उपलब्ध कराये जाने के साथ संशोधित मेन्यू के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

दिवस	वर्तमान मेन्यू	संशोधित मेन्यू
सोमवार	रोटी–सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग अथवा दलिया	रोटी–सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग
मंगलवार	चावल सब्जी युक्त दाल अथवा चावल साम्भर	चावल सब्जी युक्त दाल अथवा चावल साम्भर
बुद्धवार	कढ़ी चावल अथवा खीर	कोफ्ता–चावल एवं 200 मि0ली0 दूध (उबला हुआ)
बृहस्पतिवार	रोटी–सब्जी युक्त दाल अथवा दलिया	रोटी–सब्जी युक्त दाल
शुक्रवार	तहरी जिसमें सोयाबीन की बड़ी का प्रयोग	तहरी जिसमें सोयाबीन की बड़ी का प्रयोग
शनिवार	चावल–सोयाबीन युक्त सब्जी अथवा खीर	चावल–सोयाबीन युक्त सब्जी

3— योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 01 दिन दूध उपलब्ध कराये जाने पर होने वाले व्यय—भार को परिवर्तन लागत से वहन किया जाना होगा। इससे उर्जा एवं प्रोटीन के निर्धारित मानकों की भी पूर्ति हो सकेगी।

4— उपयुर्क्त मेन्यू के अन्तर्गत छात्रों को दूध उपलब्ध कराये जाने हेतु बुद्धवार का दिवस निर्धारित किया गया है किन्तु यदि बुद्धवार को विद्यालय में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है तो अगले विद्यालय दिवस में छात्रों को दूध दिया जाना होगा। योजनान्तर्गत दूध उपलब्ध कराने के प्रारम्भ करने की तिथि 15 जुलाई, 2015 निर्धारित की गयी है।

5— उक्त के अतिरिक्त संदर्भित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित मानते हुए विद्यालय में भोजन वितरण/संचालन सुनिश्चित करें। शेष दिशा—निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, मा0 मंत्री बेसिक शिक्षा, मा0 मंत्री पंचायती राज, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास के संज्ञानार्थ।
2— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराने का कष्ट करें।
5— शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
6— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
7— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
8— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।